


पत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प चनेरिया

- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी चनेरिया  
मू.अ.नि. मेहन्दरिया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा / नायब  
तहसीलदार रेलमगरा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम  
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम चनेरिया तहसील रेलमगरा व  
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 468 में  
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
	<u>चनेरिया</u>	<u>468</u>	<u>भगवान पुत्र भूरा जाट रहन - M.A.G.B - डरीबा</u>	<u>भगवान पुत्र भूरा जाट रहन - राजस्थान ग्रामीण बैंक - डरीबा</u>

  
उपखण्ड अधिकारी  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, \_\_\_\_\_

क्रमांक:- 274  
प्रतिलिपि -

दिनांक :- 10/10/25

1. तहसीलदार ..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

  
उपखण्ड अधिकारी  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, \_\_\_\_\_